न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/05/2021

कन्हैया पुत्र बुद्धा जाति जाट निवासी चक नगला बीजा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. लाखनसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बीजा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर (प्रथम) दि0 02.12.2020 प्रकरण संख्या 34/2020 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 30.11.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 02.12.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय ने खिलाफ कानून व रिकार्ड के विपरीत आदेश दिया गया जो कि काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट व अन्य शिकायतकर्ताओं/उपभोक्ताओं ने ना तो कोई गेहूं प्राप्त किया है और ना ही कोई राशि जमा कराई गई है। केवल कैरोसीन ही प्राप्त किया गया है। कैरोसीन लेते समय राशन डीलर द्वारा दो-दो अगूंठा निशानी लेकर गेहूं का गबन किया गया है। इसी कारण गेहूं का इन्द्राज राशनकार्ड पर नही किया गया है। तहत अदालत

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

द्वारा अपीलान्ट व शिकायतकर्त्ताओं को तलब कर नही सुना गया है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में कुछ उपभोक्ताओं के मौखिक रूप से कार्यालय में अवगत कराया कि उन्हें डीलर के विरूद्व कोई शिकायत नही है और इस कारण डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया है जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। किसी भी शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत गलत होने बाबत् कोई बयान आदि तहत न्यायालय में नहीं दिया गया है और ना ही पत्रावली में इस बाबत कोई साक्ष्य है। खाद्य सुरक्षा योजना में गलत रूप से नाम जोडे जाने पर लिए गये गेहूं की राशि का भुगतान ना तो अपीलान्ट व शिकायतकर्त्ताओं द्वारा किया गया बल्कि डीलर द्वारा उक्त राशि जमा कराई गई है। इस बाबत् अपीलान्ट व शिकायतकर्त्ताओं के बयान नही लिये गये है। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

रेसपोडेन्ट संख्या 01 के वकील ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से जांच पडताल करने के बाद ही प्राधिकार पत्र को बहाल किया गया है। अपीलान्ट सरकारी कर्मचारी है जिनके नाम एन.एफ.एसा.ए की सूची में नाम दर्ज है तथा जिनको ऑनलाइन ट्रांन्जैक्शन से गेहूं वितरण किया गया है। जिनका विवरण निम्न है:—

1. सुगेर सिंह पुत्र वृन्दावन सिंह राशनकार्ड न0 007533800100 जो कि वर्तमान में एन. एफ.एस.ए. नो है को दिनांक 30.11.2017 एवं 10.2.2017 को 60 किग्रा गेहूं का वितरण दर्शाया गया है, क्योकि उक्त वितरण दिनांक उपभोक्ता का नाम एन.एफ.एस.ए. में दर्ज होने के कारण राशन वितरण किया गया।
2. नैमीचन्द पुत्र नत्थी सिंह मीणा राशन कार्ड न0 00752380073 जो कि एन.एफ.एस.ए. नो है, व एन.एफ.एस.ए. गे दर्ज होने के कारण दिनांक 10.02.2017 एवं 20.09.2017 को 90 किग्रा गेहूं का वितरण दर्शाया गया है। जो कि एन.एफ.एस.ए. में दर्ज होने के कारण नियमानुसार राशन का वितरण किया गया है।
3. कन्हैया पुत्र बुद्धा राशन कार्ड न0 007523800225 जो कि वर्तमान में एन.एफ.एस.ए. नो है, व एन.एफ.एस.ए. मे दर्ज होने के कारण दिनांक 29.12.2016 एवं 18.10.2016 को 60 किग्रा गेहूं का वितरण दर्शाया गया है। जो कि एन.एफ.एस.ए. में दर्ज होने के कारण नियमानुसार राशन का वितरण किया गया है।
4. नत्थी पुत्र दौलत राशन कार्ड न0 00752380071 जो कि एन.एफ.एस.ए. नो है, व एन. एफ.एस.ए. मे दर्ज होने के कारण 110 किग्रा गेहूं का ऑनलाइन वितरण दर्शाया गया है। जो कि एन.एफ.एस.ए. में जो कि एन.एफ.एस.ए. में दर्ज होने के कारण नियमानुसार राशन का वितरण किया गया है।
5. रतीराम पुत्र कुन्दन राशन कार्ड न0 007523800158 जो कि एन.एफ.एस.ए. नो है, व एन.एफ.एस.ए. मे दर्ज होने के कारण दिनांक 13.05.2016 व 25.03.2016 को 30 किग्रा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

गेहूं का ऑनलाइन वितरण दर्शाया गया है। जो कि एन.एफ.एस.ए. में दर्ज होने के कारण नियमानुसार राशन का वितरण किया गया है।

6. जगदीश पुत्र परसादी राशन कार्ड न0 00752380026 जो कि एन.एफ.एस.ए. नो है, व एन.एफ.एस.ए. मे दर्ज होने के कारण 110 किग्रा गेहूं का ऑनलाइन वितरण दर्शाया गया है। जो कि एन.एफ.एस.ए. में दर्ज होने के कारण नियमानुसार राशन का वितरण किया गया है।
7. सुभाष पुत्र प्रकाशचन्द राशन कार्ड न0 200000478354 जो कि वर्तमान में एन.एफ.एस.ए. नो है, व एन.एफ.एस.ए. मे दर्ज होने के कारण को 20 किग्रा गेहूं का ऑनलाइन वितरण दर्शाया गया है। जो कि एन.एफ.एस.ए. में दर्ज होने से नियमानुसार राशन का वितरण किया गया है।
8. श्रीराम पुत्र सूरजभान शर्मा राशन कार्ड न0 2007523700007 जो कि वर्तमान में एन.एफ.एस.ए. नो है, व एन.एफ.एस.ए. मे दर्ज होने के कारण को 50 किग्रा गेहूं का ऑनलाइन वितरण दर्शाया गया है। जो कि एन.एफ.एस.ए. सूची दर्ज होने से नियमानुसार राशन का वितरण किया गया है।

उक्त सभी उपभोक्ताओं को राशन विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों की सूची में नाम होने पर राशन वितरण करने के निर्देश दिये गये थे चूंकि उक्त उपभोक्ताओं के नाम उक्त सूची में दर्ज होने व सभी नियमानुसार पोस मशीन के बॉयोमैट्रिक सत्यापन होने के बाद राशन सामग्री वितरण किया गया था। प्रार्थी के सहवन से राशनकार्ड में इन्द्राज होने से रह गया होगा, इसके पीछे कोई दुर्भावना या गलत मैनसरिया नही था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही राशन वितरण पूर्णतया पोस मशीन के जरिये ही किया है। राशन वितरण पोस मशीन के जरिये बॉयोमैट्रिक सत्यापन होने के बाद ही किया गया है तथा इस वितरण का समस्त रिकार्ड विभाग की ऑनलाइन सर्वर में सेव हो जाता है। खाद्य सुरक्षा की सूची में नाम जोडने का कार्य सक्षम अधिकारी का ना कि प्रार्थी राशनडीलर का है। उक्त सूची में अनेक ऐसे व्यक्तियों के नाम भी दर्ज थे जो खाद्य सुरक्षा के पात्र नही होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से फायदा उठा रहे थे। जिसके कारण राज्य सरकार ने जांच करा कर दोषियों के विरूद्व गैर कानूनी रूप से उठाये गये राशन के मूल्य का भुगतान जमा कराने अन्यथा एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिये गये जिसके भय के कारण इन उपभोक्तओं ने उनके द्वारा लिये गये राशन की मात्रा के मूल्य के हिसाब से अपने अपने नाम से जरिये बैंक चालान राशि जमा करवाई गई है। वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार जांच कर सभी अपात्र लाभार्थियों का नाम वर्तमान एन.एफ.एस.ए. में नो किया गया है। प्रार्थी ने विभागीय आदेशानुसार उस समय उपलब्ध कराई गई खाद्य सुरक्षा सूची में दर्ज सभी उपभोक्ताओं को पात्र मानते हुए खाद्य सुरक्षा के गेहूं का वितरण किया गया था। जिसकी सत्यता की जांच तहत न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निरीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 02.11.2020 एवं गठित कोर कमेटी

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर (राज0)

की रिपोर्ट की जांच में यह साबित पाया गया था कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता लाभार्थी सरकारी कर्मचारी है। उन्हें अपात्र मानते हुए खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक करते हुये उनके द्वारा ली गई राशन सामग्री से संबंधित राशि नियमानुसार जमा कराई गई है। अन्त में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 01 ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2020 को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को नोटिस का जबाब प्राप्त करने के उपरान्त उनके विरूद्व दर्ज विभागीय प्रकरण का को गुवावगुण के आधार पर निर्णय हेतु विचाराधीन रखते हुए निलम्बन का प्राधिकार पत्र को बहाल किया गया है। जो कानूनी रूप से विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार के जबाब के संबंध में जांच कराई गई तो पाया कि डीलर के विरूद्व शिकायत करने वाले उपभोक्ता/लाभार्थी अथवा इनके संबंधी कोर कमेटी के सदस्यों के द्वारा दी गई लिस्ट सरकारी कर्मचारी पाये गये है। खाद्य विभाग द्वारा इन सभी उपभोक्ताओं को अपात्र मानते हुए खाद्य सुरक्षा की सूची से इनका चयन पृथक कर दिया गया है। उक्त उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त गेहूं की राशि विभागीय दर से जमा राजकोष कराई गयी है। अप्रार्थी डीलर का निलम्बित प्राधिकार पत्र गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु विचाराधीन रखते हुए प्राधिकार पत्र को बहाल किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2020 सही पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लाखनसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बीजा को विभागीय प्रकरण संख्या 34/2020 को विचाराधीन रखते हुए निलम्बित प्राधिकार पत्र को दिनांक 02.11.2020 को बहाल किया गया है तथा दिनांक 02.12.2020 को अप्रार्थी डीलर पर नियंत्रित वस्तुओं के गबन या कालाबाजारी का कोई मामला नही होने व खाद्य विभाग संबंधी रिकवरी उपभोक्ताओ पर बकाया नही होने तथा डीलर की अपराधिक मानसिकता स्थापित नही होने के कारण दर्ज प्रकरण को समाप्त किया गया है। प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु शिकायतकर्ता/उपभोक्ताओं का राशन प्राप्त करना जो कि सरकारी कर्मचारी होते हुये खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं का उठाव का है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में अवगत कराया है कि राशनकार्ड में खाद्यान्न वितरण का कोई इन्द्राज नही है और केवल कैरोसीन ही प्राप्त किया गया है, लेकिन डीलर द्वारा दो बार अगूंठा लगवाकर गेहूं की वितरण दर्शाया गया है। जांच में गेहूं वितरण होने की दशा में उपभोक्ताओं के नाम खाद्यान्न के बाबत् राशि जमा कोष कराई गई है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा राशन सामग्री के उठाव होना तो दर्शाया गया किन्तु किसके द्वारा खाद्यान्न

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

राशि का भुगतान किया गया है, का उल्लेख नही किया गया है। तहत न्यायालय का यह कथन कि उपभोक्ताओं पर कोई खाद्य सामग्री के भुगतान राशि बकाया नही होना स्वीकार नहीं है क्योंकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सरकारी कर्मचारियों को गेहूं का राशन वितरण एवं उसका भुगतान जमा राजकोष कराने का कार्य उपभोक्ताओ/अपीलान्ट द्वारा नही किया गया है बल्कि गबन से बचने की नियत से राशनडीलर द्वारा ही भुगतान किया जाना प्रतीत होता है। अपीलाधीन आदेश में खाद्य विभाग की रिकवरी राशि जमा किसके द्वारा जमा कराई गई का स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। डीलर का यह कृत्य राशन सामग्री के वितरण में की गई अनियमितताऐं व राशन सामग्री के दुरूपयोग करने की श्रेणी में आता है। इससे अपीलाधीन आदेश में त्रुटि होना पाया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2020 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली जिला रसद अधिकारी, भरतपुर को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैं। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 30.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर